राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
20/198, कावेरी पथ, सैक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर – 302020

क्रमांकः एफ 41(1)प्रायोजन/आ.ई.सी.पी.एस./दिशा–निर्देश/बा.अ.वि./2015/73940 दिनांकः 14-10-2020

रजिस्ट्रार, (वर्गीकरण)
एवं नोडल अधिकारी,
किशोर न्याय समिति,
राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।

विषयः– विधि से संघर्षरत बच्चों के संस्थागत देखरेख से विमुखीकरण के दौरान प्रायोजन भत्ता (Sponsorship Award) प्रदान करने के सबन्ध में दिशा–निर्देश।

प्रसंगः– किशोर न्याय समिति, राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 21.05.2020 के क्रम में।

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत माननीय किशोर न्याय समिति, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विधि से संघर्षरत बच्चों के संस्थागत देखरेख से विमुखीकरण के दौरान प्रायोजन भत्ता (Sponsorship Award) प्रदान करने के सबन्ध में जिला बाल संरक्षण इकाईयों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके कम में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 73664 दिनांक 13.10.2020 से दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके है। प्रासंगिक दिशा–निर्देश की प्रति परिशिष्ठ–अ पर अवलोकनीय है।

उक्त परिपेक्ष्य में अनुरोध है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के स्तर से भी उपरोक्त दिशा–निर्देश समस्त बाल न्यायालय एवं किशोर न्याय बोर्ड को अग्रेषित करवाने का श्रम करावें।

सलंग्न–उपरोक्तानुसार।

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

Scanned with CamScanner